

न्यायालय : सज्जन सिंह सिसौदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

कमांक— ५४१

शिवपुरी दिनांक— 29/05/2024

—:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::—

मैं सज्जन सिंह सिसौदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 धारा-14 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह मई-2024 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाता हूँ :-

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह मई के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	26-05-2024
2.	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	23-05-2024
3.	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	12-05-2024
4.	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	18-05-2024 19-05-2024
5.	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	07-05-2024
6.	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	05-05-2024

7.	श्री प्रशांत पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	12-05-2024 23-05-2024 26-05-2024
8.	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	07-05-2024 18-05-2024 19-05-2024
9.	श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	07-05-2024
10.	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	05-05-2024 18-05-2024
11.	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	23-05-2024 26-05-2024
12.	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	19-05-2024 12-05-2024
13.	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	12-05-2024 23-05-2024 26-05-2024
14.	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	07-05-2024 18-05-2024 19-05-2024
15.	श्री भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियांधाना, जिला शिवपुरी	खनियांधाना	07-05-2024 12-05-2024 18-05-2024 19-05-2024 23-05-2024 26-05-2024
16.	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	पोहरी	07-05-2024 12-05-2024

			18-05-2024
			19-05-2024
			23-05-2024
			26-05-2024

नोट :-

01. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
02. यदि माह **मई 2024** में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत् जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में प्रशांत पाण्डेय, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में श्रीमती कमला गौतम, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में सुश्री नेहा प्रजापति जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में श्री भूपेन्द्र तिवारी जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में श्रीमती अंजली पटेल जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।
03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक

आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।

05. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन किया जाना है, वह उक्त कार्य हेतु अपने न्यायालय के दो सक्षम कर्मचारी जो कि, शीघ्रता से कार्यवाही का निष्पादन कर सकें, उन्हें कार्य के दौरान उपस्थित होने के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करके उनके सहयोग से कार्य का निष्पादन कर सकेंगे।
06. दिनांक 05.05.2024 को New Criminal Law, 2023 के प्रशिक्षण में न्यायाधीशगण के सम्मिलित होने पर तहसील पिछोर एवं खनियाघांना की रिमाण्ड का निष्पादन तहसील करैरा तथा तहसील कोलारस एवं पोहरी की रिमाण्ड का निष्पादन मुख्यालय जिला शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्डकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
07. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।

अनुमोदन

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

29.04.2024
सज्जन सिंह सिसौदिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

दिनांक 30/04/2024

पृष्ठांकन क्र०
प्रतिलिपि :-

1. श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
2. श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
3. सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
4. श्री अमित प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
5. सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
6. श्रीमती रूपम तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
7. श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
8. श्री प्रशांत पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।
9. श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।
10. श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
11. श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
12. श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
13. सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
14. श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी।
15. सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी।
16. श्रीमती अंजली पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी।
17. श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
18. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस/खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला शिवपुरी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
21. निज सहायक न्यायालय मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
23. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी की ओर से सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक काय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

D.No. 498
30.04.24

Sanjay
30.04.2024
सज्जन सिंह सिसौदिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.।

